सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 20, बुधवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 11, *2024*

Agrahayana 20, Wednesday, Saka 1946- December 11, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 26, 2024

संख्या एफ 3(20)वन/2013 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा बांरा जिले की अन्ता तहसील की 427.22 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण अनुसूची-1 में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची -2 के अनुसार हैं, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुये **सोरसन संरक्षण आरक्षिति द्वितीय (Conservation reserve)** घोषित करती है, जिसे भविष्य में **सोरसन संरक्षण आरक्षिति द्वितीय** के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची-1

क्र.सं.	नाम कन्जर्वेशन रिजर्व	सम्मिलित वनखण्डों के नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	क्षैत्रफल (हैक्टर)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति
1	**सोरसन संरक्षण आरक्षिती द्वितीय**	सोरसन "बी"	सम्पूर्ण वनखण्ड	427.22	रक्षित

खसरा वार भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल हैक्टर में		विशेष विवरण
				खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
बारां	अन्ता	सोरसन "बी"	सोरसन	1524	20.06	
				1525	21.38	
				1526	16.06	
				1527	26.00	
				1528	32.85	
				1529	31.50	
				1530	17.60	
				1531	21.00	

				1532	20.00	
				1533	15.00	
				1543	12.49	
				1544	11.45	
				1548	24.36	
				1552	20.00	
				1781	15.26	
				1784	6.31	
				1785	9.00	
				1786	9.00	
				1787	9.00	
				1788	9.00	
				1789	9.00	
				1790	13.34	
				1791	6.00	
				1795	12.00	
				1796	11.10	
				1797	8.00	
				1798	12.00	
				1799	7.56	
				1796/1968	0.90	
			योग	**29**	**427.22**	

अनुसूची-2

सोरसन संरक्षण आरक्षिति – द्वितीय की सीमाऐं

उत्तरी सीमा:- वनखण्ड सोरसन ''बी'' के उत्तर पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा में सोरसन ब्रहमाणी माताजी के मंदिर तक।

पूर्वी सीमा:- ब्रहमाणी माताजी के मंदिर के पास वनखण्ड सोरसन ''बी'' के उत्तर पूर्वी कोने से दक्षिण दिशा में सोरसन सांगोद पक्की सड़क तक, यहॉ से पक्की सड़क के किनारे-किनारे दक्षिण पष्चिम की ओर ग्राम डाबला की ओर जाने वाली ग्रेवल सड़क तक।

दक्षिणी सीमा:- सोरसन-सांगोद पक्की सड़क पर स्थित वनखण्ड सोरसन ''बी'' के दक्षिण पूर्वी कोने से पष्चिम में परवन नदी के किनारे स्थित ग्राम डाबला तक।

पश्चिमी सीमा:- ग्राम डाबला के पास वनखण्ड सोरसन ''बी'' के दक्षिण पश्चिमी कोने से उत्तर दिशा में परवन नदी के समानांतर ग्राम आसन नकटी का होते हुए वनखण्ड सोरसन ''बी'' के उत्तर पश्चिमी कोने तक।

इसका कुल क्षेत्रफल 427.22 हेक्टर होगा।

इस प्रकार **सोरसन संरक्षण आरक्षिति (सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व) द्वितीय** घोषित हो जाने के उपरान्त ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि **सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व द्वितीय** की सीमाओं के निकट निवास करता है, उसका यह दायित्व होगा कि:-

1. वह इन कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकेगा।

2. यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती है कि इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का अपराध घटित हो गया है तो वह अपराधियों को पहचानने एवं उन्हे गिरफ्तार कराने में स्थानीय वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
3. किसी भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर उसके शव की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनाधिकारी उसको अपने कब्जे मे नही ले लेता है।
4. कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में न तो आग जलाएगा और न ही आग को जंगल में जलता हुआ छोड़ेगा। जंगल में आग लगने अथवा आग लगने की जानकारी होने पर उसके शमन का पूर्ण प्रयत्न करेगा तथा उसको जंगल में फैलने से रोकेगा तथा वन अधिकारियों का सहयोग करेगा।
5. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा चिन्हों को न तो नुकसान पहुचायेगा और न ही उन्हे परिवर्तित अथवा खण्डित करने का प्रयास करेगा।
6. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा में स्वछंद विचरण करने वाले वन्यजीवों के साथ न तो छेड़खानी करेगा और न उन्हे सता कर परेशान करेगा।
7. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में गंदगी नही फैलाएगा।
8. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए हानिकारक एवं घातक रसायन अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नही करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।